

क्रमांक: सूप्रौवि/वेबसाइट/2024/

दिनांक:—

प्रभारी अधिकारी
जिला वेबसाइट
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
राजस्थान।

विषय:— अलवर में आगामी रामगढ़ वि.स.उ.चु हेतु लागू आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने वाली केन्द्रीयकृत सामग्री हटाये जाने के क्रम में।

संदर्भ:— श्रीमान जिला निर्वाचन अधिकारी, महोदया अलवर का पत्रांक जिनिअ/विसउचु/2024/2463 दिनांक 15/10/2024।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित के माध्यम से श्रीमान जिला निर्वाचन अधिकारी, महोदया द्वारा अधोहस्ताक्षरकर्ता को अलवर की रामगढ़ विधानसभा के आगामी उपचुनाव हेतु आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने वाली सामग्री को अलवर की आधिकारिक वेबसाइट www.alwar.rajasthan.gov.in से हटाये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। अतः निवेदन है कि संदर्भित की अनुपालना में आपके स्तर से हटाये जा सकने वाली उक्त प्रकार की केन्द्रीयकृत सामग्री अलवर की वेबसाइट से हटवाये जाने का कष्ट करें।

(चारु अग्रवाल)
संयुक्त निदेशक
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
मिनी सचिवालय, अलवर

क्रमांक: सूप्रौवि/वेबसाइट/2024/

दिनांक:—

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ सादर प्रेषित है:

- श्रीमान जिला निर्वाचन अधिकारी महोदया, अलवर।
- कार्यालय रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
मिनी सचिवालय, अलवर

